

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/rpsc-13/फार्म/2856/18-19/121-22 दिनांक 08-08-2020/ 11-08-2020/ 13-08-2020 के निर्देशानुसार लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013(NJR) में के विरुद्ध चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया जाकर परामर्श कैम्प के माध्यम से विद्यालय आवंटित किये जाने हेतु दिनांक 20-08-2020 को कैम्प आयोजित किया गया जिसमें संलग्न सूची के चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को लिपिक ग्रेड द्वितीय (Junior Assistant) के पद पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक F-15(1)FD Rules/2017 Jaipur Dated 30-10-2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक F-15(15) FD Rules/2017 Jaipur Dated 09-12-2017 के अनुसार लिपिक ग्रेड द्वितीय (Junior Assistant) के पद पर रुपये 14600/- प्रतिमाह स्थायी पारिश्रमिक (फिक्स रेम्युनरेशन) पर 02 वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त लिपिक ग्रेड द्वितीय (Junior Assistant) पद की वेतन श्रृंखला L-5 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते एवं महंगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे। परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में एक कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा साथ ही परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा एवं नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत नियमानुसार पेंशन अंशदान की कटौति होगी एवं अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा।

इन्हें दिनांक 31-Aug-2020 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्तकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। अन्तिम दिनांक 31-Aug-2020 तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा तथा नियुक्ति निरस्त की जाकर मूल आवेदन पत्र निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटा दिया जावेगा। उक्त नियुक्तिया राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013(NJR) के विरुद्ध चयन (संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (युप-3) विभाग, राज जयपुर केपत्रांक प.1(6) प्र.सु./अनु.3/2017 जयपुर दिनांक 16.06.2020) के तहत की गई है। उक्त नियुक्ति पर आशार्थियों के कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान निम्न बिन्दुओं/निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।

- 01- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा, आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए इस कार्यालय को तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्ट से अवगत करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 02- चयनित अभ्यर्थियों के उपर्युक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु इस कार्यालय से वाहक स्तर पर प्राप्त कर मूल दस्तावेजों से मिलान उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाये।
- 03- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जावे। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध एवं मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 04- संस्थाप्रधान इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता/प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्युटर संबंधी) आयु एवं अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके आवेदन पत्र से मिलान किया जाना सुनिश्चित करे।

- 05- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F-7(1)DOP/A-II/95 Dated 08-04-2003 एवं F-7(1)कार्मिक/क-2/45/पार्ट II Dated 20-11-2015 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 06- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- 07- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04-10-2013 के अनुसार घुमपान एवं गुटका सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबद्धता (अन्डरटकिंग) देनी होगी।
- 08- अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदक के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो मान्य होगा। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण करावें। अन्यथा स्थिति होने पर इस कार्यालय को सूचित करें। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो इस कार्यालय सूचित करावें।
- 09- अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/ विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24-02-2011 एवं दिनांक 20-11-2015 की अनुपालना में पूर्ति करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16-08-2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।
- 10- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में अधीनस्थ कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने वाले (NJR) अभ्यर्थियों के विरुद्ध आरक्षित सूची में से नाम पिक-अप किये जाने के संबंध में SBCWP No 24225/2018 रामेश्वर प्रसाद बनाम राजस्थान में पारित आदेश Dated 10-12-2018 के परिपेक्ष्य में एवे राज्य सरकार के निर्णय की अनुपालना में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण उत्पन्न 333 रिक्तियों के विरुद्ध आयोग द्वारा 317 अभ्यर्थियों को पिक-अप किया गया है।

संलग्न सूची:-उपरोक्तानुसार (पृष्ठ संख्या 1)।

(देवी सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
दि 20-Aug-2020

क्रमांक-जिशिअ/मुमाशि/अज/संस्था-1/फा-JA13(NJR)विरुद्ध नियु0/2020/271
प्रतिलिपि -

- 01-निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
02-शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
04-संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर।
05-कम्प्यूटर अनुभाग निदेशालय बीकानेर को वारते विभागीय वैबसाईट पर प्रसारित करने हेतु द्वारा Email. ID sa.dse@rajasthan.gov.in / compsecedu@gmail.com पर प्रेषित है।
05-मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी Ajmer।
06-संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO _____ जि0 Ajmer को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके परिक्षेत्र में नियुक्त अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र कार्यालय के संस्थापन प्रशाखा 01 से प्राप्त कर संबंधित विद्यालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
07-संबंधित संस्था प्रधान..... को देकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित के मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..... कार्यालय प्राप्त कर संबंधित के व्यक्तिगत पंजिका में सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करावें साथ ही संबंधित की कार्यग्रहण विभागीय वैबसाईट शाला दर्पण पर भी अद्यतन कराते हुए कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय एवं संबंधित सीबीईओ कार्यालय को उपलब्ध करावें।
08-अभ्यर्थी श्री/सुश्री/श्रीमती..... को उनके द्वारा अंकित पते पर।
09-प्रभारी वरिष्ठता प्रशाखा कार्यालयहाजा को बास्ते वरिष्ठता सूची में अंकन हेतु।

(देवी सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर





OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER (HEADQUARTER) SECONDARY EDUCATION, AJMER


Junior Assistant 2013 (NJR) के विरुद्ध Selected Candidate Posting Order

क्रमांक-जि०शि०अ० / मु०मा०शि० / अज० / संस्था-1 / फा-J.A.2013 (NJR) के विरुद्ध चयनित / 2020 /

271

DATED - 20-AUGUST-2020

S NO	Merit	Old Merit	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	Catt	Set_Cat	Candidate Address	POSTING WILL BE GIVEN AFTER COUNCLING	BLOCK	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1145	1333R	223423	SURESH KUMAR CHOUDHARY	HEERA LAL CHOUDHARY	15-Sep-94	M	BC	GEN	VILL. SAMOTA KA BAS, POST. KACHRODA, THE. PHULERA, DIST JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANAI KALA (221765), BHINAI (08210702701) (MASUDA)	BHINAI	
2	1162	1350R	917932	DEVENDRA KUMAR PAREEK	RADHE SHYAM PAREEK	02-Jul-90	M	GE	GEN	PANCHWATI COLONY, GALI NO 4, ADARSH NAGAR AJMER	GOVT. SECONDARY SCHOOL KURTHAL (221757), BHINAI (08210700501) (MASUDA)	BHINAI	
3	1181	1369R	251737	SUNA RAM SAINI	SADHU RAM SAINI	20-Dec-92	M	BC	GEN	WARD NO 7, DHANI SAINI KOTHI, KOLWA MOD, GRAM MUNDRU THE SHRI MADHOPUR DIST SIKAR	GOVT. SECONDARY SCHOOL HATHIPATTA BLOCK SHRINAGAR AJMER (227160), SRI NAGAR (08210300301) (NASIRABAD)	SRINAGAR	
4	1191	1379R	267234	MANOHAR SINGH	HANUMAN SINGH	25-Apr-90	M	GE	GEN	VILL. PEEPLI, KA BAS, POST. MALYAWAS, THE PHULERA DIST JAIPUR	C.B.E.O.Srinagar	SRINAGAR	


(DEVI SINGH)

DISTRICT EDUCATION OFFICER
(HEADQUARTER) SECONDARY EDUCATION, AJMER